

30

निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर
ब्लॉक-डी, आई.पी. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
दूरभाष सं. 011-2337 8923, 2337 8999, 2337 0663

कस्टम ब्रोकर परीक्षा के लिए नोटिस

कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 के अधीन कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विनियमों की प्रति www.cbec.gov.in एवं <http://dgicce.nic.in> पर उपलब्ध है।

1. आवेदन प्राप्त करने की तारीख: 03.10.2016 से 18.11.2016 तक
2. लिखित परीक्षा की तारीख व समय: 20.01.2017 (10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक)
3. आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें: सीबीएलआर, 2013 के विनियम 5 एवं 6 के अनुसार
4. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम: सीबीएलआर, 2013 के विनियम 6(7) के अनुसार
5. आवेदन के लिए प्रारूप: फॉर्म-क (अधिसूचना में उपलब्ध) के साथ दो पासपोर्ट आकार की फोटों जो कि एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित (सामने की ओर) होनी चाहिए एवं यथा संशोधित सीबीएलआर, 2013 के विनियम 5 के अनुसार नागरिकता, शैक्षणिक योग्यताओं तथा वित्तीय अपेक्षाओं संबंधी स्वःअनुप्रमाणित दस्तावेज।
6. आवेदन कहां जमा करना है: सीमा शुल्क/ सीमा शुल्क (निवारक)/ सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के प्रधान आयुक्त/आयुक्त जिनके क्षेत्राधिकार में वह क्षेत्र आता हो जहां आवेदक अपना व्यवसाय करने की मंशा रखता हो। [सीबीएलआर, 2013 का विनियम 4]।
7. अपूर्ण आवेदन दिनांक 09.12.2016 तक सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। आवंटित रोल नंबर एवं परीक्षा स्थल/तारीख तथा समय के बारे में सूचना संबंधित आयुक्तालय द्वारा दी जाएगी। लिखित परीक्षा की तारीख परिवर्तित नहीं की जाएगी चाहे उस दिन छुट्टी ही घोषित क्यों न हो। इस संबंध में प्रधान आयुक्त/आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
8. लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
9. आवेदक के पास हिंदी अथवा अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प है।
10. यदि पाया गया कि आवेदक द्वारा की गई घोषणा गलत है, तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं/अथवा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
11. किसी भी पूछताछ के लिए नजदीकी आयुक्तालय से संपर्क करें अथवा सीबीएलआर, 2013 का संदर्भ लें अथवा इस महानिदेशालय से संपर्क करें अथवा वेबसाइट www.cbec.gov.in एवं <http://dgicce.nic.in> पर जाएं।

फा.सं. 1191/01/2016-कॉन्फिडेंशियल

(सी.एम. चान्दोलिया)
प्रधान अपर महानिदेशक
011-2337 8250

31

Directorate General of Performance Management,
Customs and Central Excise & Service Tax
Block-D, I.P. Bhawan, I.P. Estate, New Delhi – 110002
Phone no. 011-2337 8923, 2337 8999, 2337 0663

NOTICE FOR CUSTOMS BROKERS EXAMINATION

Applications are invited from Indian citizens to appear in the written examination for issuance of license to act as a Customs Broker under Customs Brokers Licensing Regulations, 2013. A copy of the regulations is available at www.cbec.gov.in and <http://dgicce.nic.in>.

1. **Date of receipt of application:** from 03.10.2016 to 18.11.2016
2. **Date and time of Written Examination:** 20.01.2017 (10.00 A.M to 1.00 P.M)
3. **Conditions to be fulfilled by the applicants:-** As per regulation 5 & 6 of CBLR, 2013.
4. **Syllabus of written examination:** As per regulation 6(7) of CBLR, 2013.
5. **Application to be submitted in format:** Form-A (available in the notification) along with two passport size photos attested by a gazetted officer(on the front side) & self attested documents on citizenship, educational qualification & financial requirements as per regulation 5 CBLR, 2013 as amended.
6. **Where to submit the application:** Principal Commissioner/Commissioner of Customs/Customs (Prev.)/Customs, Cen Ex. & Service Tax having jurisdiction over the area where the applicant intends to carry on his business. [Regulation 4 of CBLR, 2013].
7. Incomplete applications shall be summarily rejected by 09.12.2016. Information regarding allotted roll numbers & examination venue/ date and time shall be intimated by the concerned Commissionerate. The date of written examination shall not change even if it is declared a holiday. Decision of the Principal Commissioner/Commissioner in this regard shall be final.
8. The candidates who successfully pass written examination will be called for an oral examination.
9. The candidates have the option to answer either in Hindi or in English.
10. In case declarations made by the applicant are found to be incorrect, the application is liable to be rejected and/or license is liable to be cancelled.
11. For any query, please contact the nearest Commissionerate or refer CBLR, 2013 or this Directorate General or visit the website at www.cbec.gov.in or <http://dgicce.nic.in>.

F.No.1191/01/2016-Confl.

(C.M.Chandolia)
Principal Additional Director General
011-2337 8250